सं0 30(20)/2015-हिं.अनु. राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र मुख्यालय ए-ब्लॉक, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

दिनांक: .09.2015

अपील

गत वर्षों की भाँति, इस वर्ष भी हमारा कार्यालय दिनांक 14.09.2015 से 28.09.2015 तक "हिंदी पखवाड़ा/पक्ष" मना रहा है। इस अवसर पर हिंदी भाषी और हिंदीतर भाषी पदाधिकारियों के लिए विभिन्न हिंदी प्रतियोगितायें आयोजित की जा रही हैं। इस "पखवाड़े" के दौरान आपसे अनुरोध है कि आप अपना अधिकतम सरकारी कार्य राजभाषा हिंदी में करें और इस प्रयास को सतत जारी रखें।

हिंदी पखवाड़ा/पक्ष के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आप सभी आमंत्रित हैं।

APPEAL


Like every year, this year also our office is celebrating "Hindi Pakhwara/Paksha" w.e.f. 14.09.2015 to 28.09.2015. On this occasion a number of Hindi competitions are being held for both Hindi speaking and non-Hindi speaking officials. During "Hindi Pakhwara/Paksha", all are requested to carry out their maximum official work in Official Language Hindi and continue this practice in future also.


All are cordially invited to participate in various competitions conducted during the above "Hindi Pakhwara/Paksha".

उरप्य कुमार (डॉ. अजय कुमार) महानिदेशक (रा.सू.वि.केन्द्र)

प्रतिलिपि:-

- 1. सभी पदाधिकारी......इंट्रानिक के माध्यम से All Officials.....through intranic
- 2. सभी संभागाध्यक्ष/राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी All HODs/SIOs
- 3. सभी जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी All DIOs







राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार



राजनाथ सिंह RAJNATH SINGH गृह मंत्री, भारत HOME MINISTER, INDIA



प्रिय देशवासियो ।

हिंदी दिवस के अवसर पर आप सब को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

भाषा किसी भी देश के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं दार्शनिक पहलुओं को जानने समझने का सशक्त एवं प्रभावी माध्यम होती है। कोई भी देश अपनी भाषा के बिना सामाजिक, पारंपरिक एवं साहित्यिक धरोहर को सहेज कर नहीं रख सकता। भाषा देश की सभ्यता एवं संस्कृति की संवाहक होती है। यह निर्विवाद सत्य है कि हमारे देश में जिस दिन शत-प्रतिशत सरकारी कामकाज राजभाषा हिंदी में होने लगेगा उसी दिन हमारी " विविधता में एकता " स्थापित होने का कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा।

भारत में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसमें भारतीय जनमानस की संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य है। हिंदी ने अपनी मौलिकता, सरलता एवं सुबोधता के बल पर ही भारतीय संस्कृति और साहित्य को जीवंत बनाए रखा है। हिंदी ने ही संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोकर अनेकता में एकता की भावना को आम जनता में निरंतर जागृत बनाए रखा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह भाषा पूर्णतः वैज्ञानिक है तथा इसकी अपनी मानक शब्दावली, व्याकरण और शैली है। राजभाषा हिंदी में समरसता है और इसका शब्दकोश व्यापक एवं समृद्ध है।

जो देश आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं उनकी भाषा के पंख भी बड़े तेज होते हैं और आने वाले दिनों में हिंदी और भारतीय भाषाओं के साथ भी ऐसा होगा। भाषा का आर्थिक स्थिति से सीधा संबंध होता है। दुनिया के सभी लोग उस भाषा को सीखना चाहते हैं जिससे उनको व्यवसाय करने में आसानी होती है। जो देश अपनी भाषा को अपनाता है वह अपने देश को तो महान एंव शक्तिशाली बनाता ही है, साथ ही उस देश के जनमानस को अपनी भाषा के ज्ञान के सागर में डुबकी लगाने का आनंद और अवसर भी मिलता है।

किसी भी देश की मौलिक सोच और सृजनात्मक अभिव्यक्ति केवल अपनी भाषा में ही संभव है। अपनी भाषा के प्रति प्रेम हमारे राष्ट्र प्रेम को भी मज़बूत बनाता है। अपनी भाषा में मौलिक लेखन से अभिव्यक्ति सरल, सहज और स्वाभाविक होती है और ऐसा अनुवादित भाषा के माध्यम से संभव नहीं है। राजभाषा हिंदी, सरकार और जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है। उपर्युक्त सभी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर, 1949 को 'हिंदी' को भारत संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया। परिणामस्वरूप 26 जनवरी, 1950 में लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि संघ सरकार की राजभाषा 'हिंदी' एवं लिपि 'देवनागरी' होगी। संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ सरकार को यह दायित्व सौंपा गया कि वह भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक तत्वों तथा अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए हिंदी का प्रचार-प्रसार एवं अभिवृद्धि सुनिश्चित करे।

हम सभी के लिए यह हर्ष का विषय है कि केंद्र सरकार के कार्मिकों को अधिक से अधिक कामकाज हिंदी में करने और दक्ष बनाने हेतु भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी शिक्षण योजना एवं केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत अभ्यास आधारित एवं दैनिक उपयोग के लिए जुलाई, 2015 से एक नया प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 'पारंगत' प्रारंभ किया गया है। इस पाठ्यक्रम में सरकारी पत्राचार के विभिन्न रूपों को हिंदी में सहज रूप में तैयार करने के लिए नमूनों के माध्यम से समझाने की व्यवस्था की गई है।

आज के वैश्विक एवं उदारीकृत अर्थव्यवस्था के युग में नई पीढ़ी को अपनी भाषा के साथ जोड़ने के प्रयोजन से यह आवश्यक है कि राजभाषा हिंदी एवं भारतीय भाषाओं में पर्याप्त साहित्य और वैज्ञानिक तथा रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी हुई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध हो। आज की नई पीढ़ी हर तरह की सूचना एवं जानकारी इंटरनेट से ही खोजती है। दूसरी भाषाओं की अपेक्षा इंटरनेट पर हिंदी एवं भारतीय भाषाओं में सूचना व साहित्यिक सामग्री बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। इसिलए वर्तमान में यह नितांत आवश्यक हो गया है कि भारत सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/संस्थानों एवं निजी संस्थाओं व व्यक्तियों के द्वारा अधिक से अधिक लाभदायक, सूचनापरक एवं ज्ञान से परिपूर्ण जानकारी हिंदी एवं भारतीय भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध करवाई जाए ताकि राजभाषा हिंदी एवं भारतीय भाषाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार हो सके।

मैं केंद्र सरकार के कार्यालयों के प्रमुखों से अपील करता हूं कि वे राजभाषा नीति से संबंधित प्रावधानों का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी का निर्वहन करें। आइए, हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सभी अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में करने के अपने संवैधानिक और नैतिक दायित्व को निभाने का संकल्प लें। मैं पुनः हिंदी दिवस के अवसर पर आपको इस दिशा में सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

जय हिंद ।

नई दिल्ली 14 सितंबर, 2015

(राजनाथ सिंह)





ESHEHERYAR Director General

आकाशवाणी महानिदेशालय Directorate General : All India Radio



प्रिय साथियो.

रफ. शहरवार

महानिदेशक

हिन्दी राष्ट्र का गौरव तथा भारत की अस्मिता एवं अनेकता में एकता की प्रतीक है। इस विशाल बहुभाषी देश में हिन्दी संपर्क भाषा का कार्य करती है। चूंकि संविधान में हिन्दी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, अतः इसको पूरी तरह सरकारी कामकाज में अपनाना हमारा संवैधानिक दायित्व है तथा राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।

विश्व स्तर पर हिंदी का महत्व उत्तरोतर बढ़ाने का भरकर प्रयास किया जा रहा है। इतिहास गवाह है कि भारतीय संविधान के निर्माण से लेकर सुधारवादी आंदोलनों और विदेशी दासता से मुक्ति दिलाने वाली हिंदी आज समाज की ज्वलंत समस्याओं का समाधान करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सत्ता हासिल करने के लिए प्रयासरत है।

आज फिर 14 सिंतबर, 2015 को हिंदी की संवैधानिक प्रतिष्ठा का संकल्प पर्व आ गया है। इस अवसर पर मैं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दिल्ली (मध्य) के सभी सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों और विशेषतः उनके वरिष्ठतम स्तर के अधिकारियों से अपील करता हूँ कि वे स्वयं राजभाषा हिंदी में काम करने की पहल करें और अपने अधीनस्थ कार्मिकों के लिए प्रेरणा स्रोत बनें। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति दिल्ली (मध्य) के समस्त कार्मिकों से पुनः आग्रह है कि वे अपने-अपने कार्य क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग कर जनता की सेवा करें एवं दृढ़ संकल्प करें कि वे आज से समस्त सरकारी काम काज केवल राजभाषा हिंदी में ही करेंगे।

हिन्दी दिवस के पावन अवसर पर मेरी शुभकाननाएं।

नई दिल्ली

अध्यक्ष नराकास दिल्ली (मध्य)

नराकास दिल्ली (मध्य) के सभी सदस्य कार्यालय के कार्यालय प्रमुख। प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः-

 सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, कमरा नं० 13 बी, द्वितीय तल, लोकनायक भवन, खान मार्किट नई दिल्ली

2. उपनिदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दिल्ली), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, ए-149, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली।



भारत का लोक सेवा प्रसारक / India's Public Service Broadcaster